

6

2021/171

FORM NO. III

फर्ट अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड जजिकराने मुकाम वहीसावडी वि. चित्तौडगढ

किस्म मुकदमा मोहम्मद उमर वनाम कालुलाल नं. 20/2021 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15-9-2021	<p>प्रार्थी /वादी की ओर से वकील श्री <u>श्री. किलहांगवाने</u> ने इस न्यायालय में एक वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. का प्रस्तुत किया गया जिसके समर्थन में नकल जमावन्दी एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा विपक्षीयगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहीर किया की किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा आराजी वाकत कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया हुआ नहीं है। प्रस्तुत नकल जमावन्दी शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रति होने से यह न्यायालय आदेश देता है कि विपक्षीयगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक <u>14-10-21</u> तक पाबन्द किया जाता है कि वे नॉजा <u>मासाब कर्षा</u> की आराजी नम्बर <u>263/121</u> <u>खण्ड 0-29</u> <u>हैम्बर</u> <u>अमि की राजाड रिमाई</u> <u>उव हाके</u> <u>की स्थिति अधावत खनाचे रके</u> -</p> <p>इसमें यदि कोई एतराज हो तो दिनांक <u>14-10-21</u> को 10 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की जाकर आदेश पारीत कर दिया जायेगा। इसी आशय का हुकमनामा जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>14-10-21</u> को पेश हो।</p>	

12/10/21 पत्रावली जारी दे ज. पत्रावली
 सिने दे तलक की जई वादी/प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
 वहीसावडी (चित्तौडगढ)



मोहम्मद उमर

